न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद पत्र सं :: 56/2017
जीसीएमएस सं0 :: 2017/00098

1. दल्लाराम आयु 50 वर्ष। पुत्र/ पुत्रिया स्व0 मूला
2. सोहनी आयु 65 वर्ष ।
3. कमली आयु 52 वर्ष ।
4. सुरजी देवी आयु 80 वर्ष बेवा मूला समस्त जाति हरिजन (बलाई) निवासीगण ग्राम रानोली तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।

– वादीगण,

बनाम

1. कंचन देवी पत्नी छीतरमल जाति खटीक नि0 बुटोली तह0 व जिला सीकर ।राज0।
2. कालूराम पुत्र मूला जाति हरिजन (बलाई) नि0 रानोली तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
3. श्यामलाल पुत्र मूला जाति हरिजन (बलाई) नि0 रानोली तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
4. हल्का पटवारी ग्राम रानोली तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।
5. उप पंजीयक पलसाना तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।
6. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक उप तहसीलदार, पलसाना तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
7. फूलचंद पुत्र स्व0 मूला जाति हरिजन बलाई नि0 रानोली जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–. श्री सुरेश कुमावत , वकील वादीगण की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88,188 राज0काश्त0अधिनियम एंव रिकॉर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट एंव शुन्य प्रभावहीन घोषित किये जाने विक्रय पत्र।

निर्णय दिनांक :: 06.10.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 565, 567, 568, 569, 570, 563 कुल किता 6 कुल रकबा 1.90 है0 अवस्थित है। इसमें वादीगण व प्रति0सं0 2, 3 व 7 का 1/4 हक व हिस्सा पैतृक अवस्थित है तथा वादीया सं0 4 का अलग से 2/7 हक व हिस्सा जरिये समोचन से प्राप्त हिस्सा है, जिसको सुरजी देवी ने 2/7 हिस्से में से 1/7 हिस्सा कालू पुत्र मूला व 1/7 हिस्सा विमला पत्नी दल्लाराम को बेचान कर दिया ,जिसपर वे काबिज काश्त है। वाद के पैरा सं0 2 अनुसार वादीगण का सजरा खानदान है। वर्णित कृषि भूमियों के पुराने ख0नं0 310, 311, 313 कुल किता 3 कुल रकबा 3.67 है0 की खातेदारी का विभाजन होकर ख0नं0 310,311, 313 की खातेदारी धन्ना पुत्र मंगला जाति कुमावत वैद की ढाणी के नाम स्वीकार की गई तथा ख0नं0 131/1 रकबा 1.90 है0 की खातेदारी मूला पुत्र बोदू व नारायण के वारिसान बाबू, गीदा, सुवटी,

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

सुवा,छोटी, जानकी के नाम हिस्सा 1/2 संयुक्त रूप से तथा नानू पुत्र विरडा जाति अहीर नि0 वैद की ढाणी के नाम 1/2 हिस्सा स्वीकार हुआ था। जमावंदी सं0 2044–2047 के द्वारा प्रमाणित है तथा इसके संबंध में कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार वादी व प्रति0सं0 2,3 व 7 का पैतृक 1/4 हक व हिस्सा मूला के वारिसान होने से है तथा नारायण के वारिसान का 1/4 हक हिस्सा पैतृक रूप से था। वादीगण ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 16 की उप मद क, ख, ग, घ, ड, च अनुसार वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 ता 7 बावजूद रजिस्ट्रर्ड तामील के हाजिर नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफ़ा अमल में लाई गई।

वादीगण ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी दिनांक 8.6.17 प्रदर्श–1, जमाबंदी सं0 2044–47 प्रदर्श–2, ना0क0 दिनांक 16.10.01 प्रदर्श–03, जमाबंदी संवत् 2057–60 प्रदर्श–04, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–05, नकल जमाबंदी दिनांक 8.6.17 प्रदर्श–06 पेश किए एंव साक्ष्य में वादी दल्लाराम पुत्र स्व0 मूला द्वारा स्वंय का शपथ पत्र पेश किया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मूला व नारायण दो भाई थे। दोनों के जमीन प्रदर्श–02 के हिस्सा से 1/4 होनी थी। नारायण खत्म हो गया। नारायण के 6 पुत्र/पुत्री थे। सभी का नाम आ गया है। नारायण के हिस्से के टुकड़े होने थे और मूला का हिस्सा कम कर दिया जबकि मूला को 1/4 हिस्सा ही रहना था। हमारा हिस्सा 1/2 होना था वह 1/14 हो गया, जिससे हमारी जमीन कम हो गई है। नारायण के वारिसों ने अपनी जमीन कंचन को बेचान कर दी है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि राजस्व ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 565, 567, 568, 569, 570, 563 कुल किता 6 कुल रकबा 1.90 है0 अवस्थित है। इसमें वादीगण व प्रति0सं0 2, 3 व 7 का 1/4 हक व हिस्सा पैतृक अवस्थित है तथा वादीया सं0 4 का अलग से 2/7 हक व हिस्सा जरिये समोचन से प्राप्त हिस्सा है, जिसको सुरजी देवी ने 2/7 हिस्से में से 1/7 हिस्सा कालू पुत्र मूला व 1/7 हिस्सा विमला पत्नी दल्लाराम को बेचान कर दिया ,जिसपर वे काबिज काश्त है। मूला व नारायण दो भाई थे। दोनों के जमीन प्रदर्श–02 के हिस्सा से 1/4 होनी थी। नारायण खत्म हो गया। नारायण के 6 पुत्र/पुत्री थे। सभी का नाम आ गया है। नारायण के हिस्से के टुकड़े होने थे जबकि मूला का हिस्सा कम कर दिया जबकि मूला को 1/4 हिस्सा ही रहना था। जो 1/14 हो गया है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 565, 567, 568, 569, 570, 563 कुल किता 6 कुल रकबा 1.90 है0 भूमि का वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 2, 3 व 7 को वर्णित कृषि भूमि में 1/14 की बजाय 1/4 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही वादिया सं0 4 सुरजी देवी द्वारा अपने अपने अलग से खरीद किये गये 2/7 हिस्सा का बेचान कालू राम पुत्र मूला व विमला पत्नी दल्लाराम को किये जाने पर सुरजी देवी का नाम हजफ किया जाकर कालू राम पुत्र मूला व विमला पत्नी दल्लाराम को उसके स्थान पर 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा ना0करण सं0 194 दिनांक 16.10.2001 व ना0करण सं0 771 दिनांक 20.06.1971 व ना0करण सं0 1004 दिनांक 10.06.2014 को निरस्त व शुन्य घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिय स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी करने से बाज रहे। तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर